न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 40/2020

1 मोहनलाल पुत्र गंगासिंह उर्फ गंगाराम।
2 राजेन्द्र पुत्र गंगासिंह उर्फ गंगाराम समस्त जाति खटीक निवासी खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद स्व. गंगाराम का मकान नम्बर 36/4058 मौहल्ला रैगरपुरा करोल बाग नई दिल्ली।

अपीलांट

बनाम

1 मनभर पंवार पत्नी सतपाल सिंह जाति खटीक निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद 82/80 अरावली मार्ग अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर।
2 पप्पूराम पुत्र घीसाराम जाति बलाई निवासी सेवद छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह उर्फ गंगाराम।
4 गोपालसिंह पुत्र गंगासिंह उर्फ गंगाराम जाति खटीक निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 शिवदानमल मेघवाल पुत्र रामेश्वरलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी आनन्दापुरा तहसील नावां जिला नागौर।
9 भंवरलाल नायक पुत्र मुरलीधर जाति नायक निवासी सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.06.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उनवानी प्रकरण मनभर पंवार बनाम मोहनलाल
आदि दावा संख्या 96/2015

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1629/3 व 1631/3 किता 2 रकबा 1.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में वादिनी का 1/5 हिस्सा है। वादिनी व प्रतिवादी 1 से 4 में बंटवारा नही हुआ है एवं सहमती से कई वर्षो पूर्व बंटवारा कर रखा है। ऐसी स्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउडस में बंटवारा हेतु निवेदन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय मे बाद तामील अपीलांट के उपस्थित न होने पर उनके विरूद्व 18.06.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई व वाद वादिनी प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार से प्राथमिक डिक्री, रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर अपीलांट की ओर से 06.08.2019 को प्रार्थना पत्र 9 नियम 7 सीपीसी. में प्रस्तुत कर एक पक्षीय निर्णय 18.06.2019 अपास्त किया जाकर मुकदमें में अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति चाही गई उक्त प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय ने 24.09.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी को स्वीकार फरमा दिया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के पश्चात अपीलांट द्वारा प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट पर 03.02.2020 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई जो अधिनस्थ न्यायालय को निर्णित करनी थी। अपीलांट ने आदेश दिनांक 18.06.2019 के विरूद्ध 06.03.2020 को यह इस न्यायालय में अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का कहना है कि अपील मियाद बाहर है। आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनस्थ का प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जावें। उसके पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय किया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दोनो पक्षो की सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट की बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि उसने सीकर स्थित अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्व अपील करने की सलाह दी। इसलिये उसने सलाह मिलते ही यह अपील प्रस्तुत की है व अपील में हुआ विलम्ब मजबुरी वश हुआ है एवं उक्त विलम्ब निर्णय की जानकारी नही होने से है। अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को क्षमा किया जावें।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी 06.08.2019 के पूर्व हो गई थी दिनांक 06.08.2019 को उसने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी में प्रस्तुत कर उन्हे अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया था। जिसे दिनांक 16.09.2019 को स्वीकार फरमा दिया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं 03.02.2020 को उसने बंटवारा प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी। अत अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनानुसार 02.08.2019 को होना स्पष्ट है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 7 माह पश्चात अर्थात 213 दिन पश्चात प्रस्तुत की है प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य सरासर वेग आधारहीन व झुठे अंकित किये है। उसने प्रार्थना पत्रों में कही भी जानकारी की दिनांक नही बताई न नकल लेने की दिनांक बताई है, न अभिभाषक जिन्होने राय दी कोई नाम पता या उनका स्पष्ट पता दिया है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने धारा 3 व 5 मियाद अधिनियम को स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 3 मियाद अधिनियम में अपील मियाद बाहर होने से न्यायालय को अपील इसी बिन्दु पर निरस्त करना आवश्यक है एवं धारा 5 के तहत संतुष्टप्रद कारण बताना आवश्यक है। उन्होनें अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 1978 पेज 305, आर.आर.डी. 1992 आर.आर.डी. ।पेज 364, आर. आर.डी. 2017(1) पेज 117, आर.आर.डी. 2016--17 पेज 158, आर. आर.टी. 2016 (2) पेज 138 एवं आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1091 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह अग्रिम कार्यवाही में भाग लेना चाहता है व उसके तहत उसने स्वंय ने आपत्ति प्रस्तुत किये है और उसके पश्चात उसने सरासर गलत तथ्यों के आधार पर अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र सरासर वेग है। अपीलांट द्वारा विलम्ब का दिन प्रतिदिन का सन्तोषप्रद कारण अंकित नही किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी स्वंय अपीलांट के कथनानुसार 02.08.2019 को हो गई थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्ण चस्पा होती है। अपीलांट की और से खण्डन मे कोई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है एवं अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर